

31/2

पत्रावली पेश हुई। आज पीठसीव अधिकारी
कार्य सरकार अध्याग अवकाश पर हैं। पत्रावली
इन्दुव होकर दिनांक 25/5/2012
को पेश हो।

25/5

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपाध्येत। तस्मीलदार
बावडीवे P.D. रिपोर्ट प्राप्त नही। वास्त P.D पालना
A कटवाड़ा प्रस्ताव हेतु स्थीर जारी हो। वास्ते
P.D पालना रिपोर्ट उतजार दिनांक 30/5/22 को
पेश हो।

30/5/22

सहायक कलेक्टर एवं
अखण्ड अधिकारी, बावडी

पत्रावली पेश हुई। आज पीठसीव अधिकारी
कार्य सरकार अध्याग अवकाश पर हैं। पत्रावली
इन्दुव होकर दिनांक 30/5/2022
को पेश हो।

16/2

पत्रावली पेश हुई। आज पीठसीव अधिकारी
कार्य सरकार अध्याग अवकाश पर हैं। पत्रावली
इन्दुव होकर दिनांक 13/06/2022
को पेश हो।

10/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकील बादी उप।
प्रतिवादीगाठ खरन्ना। सी 12 की सीए
कोई उपस्थित नही। तस्मीलदार बावडी
से प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट
(खन्डवड़ा - विभाजन) प्राप्त। जो शामिल
मिसल किया गया। बादी अधिवक्ता
की एक चष्टीय बखल खुदगी गली।
अधिवक्ता बादी द्वारा बखल दावा
में खताला मन्था। कि प्राथमिक डिक्री
अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त ही खुद
ही विभाजन प्रस्ताव रजिस्ट्रार परभाया

सहायक कलेक्टर एवं
अखण्ड अधिकारी, बावडी



तारीख
हुवग

हुवग या कार्यवाही गय इंगिशियलज कज


जाकर अन्तिम दिखी जारी की जावे
प्रावली का ध्यानपूर्वक सवलिकन
किना वन बरसपर अनन डिमा जमा
ग्रामिण ग्राम आरानी का तहसीलदार
जाफरी से प्राप्त विभाजन पुस्ताव की
स्वीकृत किया जाना आयाचित है।
अतः विभाजन पुस्ताव स्वीकार योग्य है।

आदेश

वाफ ग्राम आरानी ग्राम नाफिया खुर्द के
खसरा नं. 438 रकबा 10.6950 हेक्टर
भूमि का तहसीलदार जाफरी से प्राप्त
विभाजन पुस्ताव की स्वीकृत किया जाता
है तहसीलदार जाफरी को आदेश दिया
जाता है कि आन्तिक विभाजन पुस्ताव
राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद कर
राजस्व नवश्री में तरमीम की जावे।
अन्तिम दिखी पन्चा जारी है। विभाजन
पुस्ताव निर्णय व दिखी का भाग रद्दीग
पालनार्थ तहरीर जारी है। निर्णय आज
दिनांक 13/06/2022 को खुर्द न्यायालय
में सुनाया गया।

प्रावली मजल सुमार टिकट
नम्बर की कम दाखिल फपत है।




सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, बाबई